

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूँजीगत व्यय (जारी)
ગुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूँजी संवितरण (I से XII)	10,37,386	1,61,24,006	1,71,61,392	8,17,326	56,90,890	65,08,216	8,15,491	56,91,574	65,07,065	10,50,298	59,97,428	70,47,726
कुल पूँजी संवितरण (लोकलखा छोड़कर)\$	10,37,386	2,78,211	13,15,597	8,17,326	3,51,504	11,68,830	8,15,491	3,56,923	11,72,414	10,50,298	4,20,089	14,70,387
I. कुल पूँजी परिव्यय (1 + 2)	10,08,979	12,998	10,21,976	7,81,108	19,450	8,00,558	7,82,425	26,623	8,09,048	9,98,746	29,065	10,27,810
1. विकास (क + ख)	10,01,077	12,880	10,13,957	7,57,043	15,896	7,72,939	7,62,302	26,065	7,88,367	9,62,785	25,253	9,88,039
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,98,014	3,682	2,01,696	2,07,635	6,503	2,14,138	2,00,525	4,535	2,05,060	3,13,052	15,061	3,28,113
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	24,011	883	24,893	46,238	1,489	47,727	36,303	1,263	37,566	66,213	1,044	67,256
2. विकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,259	—	17,259	28,259	—	28,259	29,226	—	29,226	67,529	—	67,529
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	250
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,10,127	—	1,10,127	72,800	—	72,800	72,800	—	72,800	1,10,625	—	1,10,625
5. आवास	9,581	2,503	12,085	10,335	3,171	13,506	14,230	1,839	16,069	10,146	12,289	22,434
6. शहरी विकास	4,705	—	4,705	9,195	-5	9,190	9,095	—	9,095	9,695	-5	9,690
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,462	168	3,630	6,071	1,189	7,260	3,857	587	4,444	7,739	849	8,589
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	361	—	361	1,079	1	1,080	672	—	672	748	—	748
9. अन्य *	28,509	128	28,637	33,656	659	34,315	34,343	845	35,189	40,107	885	40,992
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	8,03,063	9,198	8,12,261	5,49,408	9,394	5,58,802	5,61,777	21,531	5,83,307	6,49,734	10,192	6,59,926
1. कृषि और सब्दु कार्यकलाप (i से xi)	25,366	867	26,233	31,280	590	31,870	28,941	695	29,635	35,902	772	36,674
i) फसल उत्पादन	168	—	168	1,931	—	1,931	216	—	216	725	—	725
ii) मुद्रा एवं जल संरक्षण	125	—	125	139	—	139	179	—	179	125	—	125
iii) पशुपालन	2	—	2	499	—	499	51	—	51	869	—	869
iv) डेरों विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	-2	—	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) बानिकी और बन्य जीवन	25,267	847	26,114	28,269	570	28,839	28,269	674	28,943	33,352	750	34,102
vii) बाणान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	20	20	401	20	421	184	21	205	770	22	792
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	-193	—	-193	42	—	42	41	—	41	61	—	61
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	14	—	14	5	—	5	5	—	5	300	—	300
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,51,986	—	6,51,986	3,77,154	—	3,77,154	3,70,344	—	3,70,344	3,78,751	—	3,78,751
5. ऊर्जा	39,270	—	39,270	39,197	—	39,197	44,197	—	44,197	47,226	—	47,226
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	162	—	162	725	—	725	5,621	—	5,621	30,477	—	30,477
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	161	—	161	135	—	135	182	—	182	125	—	125
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	589	—	589	439	—	439	350	—	350
iv) अन्य #	1	—	1	1	—	1	5,000	—	5,000	30,002	—	30,002
7. परिवहन (i + ii)	84,855	8,331	93,186	98,096	8,785	1,06,881	1,11,819	20,827	1,32,646	1,53,429	9,408	1,62,837
i) सड़क और पुल	82,957	8,306	91,263	93,746	8,285	1,02,031	1,10,319	16,632	1,26,951	1,37,706	8,908	1,46,614
ii) अन्य **	1,898	25	1,923	4,350	500	4,850	1,500	4,195	5,695	15,723	500	16,223
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूँजीगत व्यय (जारी)
ગुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	400	—	400	450	—	450	450	—	450	1,150	—	1,150
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,010	—	1,010	2,500	19	2,519	400	9	409	2,500	12	2,512
	i) पर्यटन	10	—	10	2,500	—	2,500	400	—	400	2,500	—	2,500
	ii) अन्य @@	1,000	—	1,000	—	19	19	—	9	9	—	12	12
	2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	7,902	117	8,019	24,065	3,554	27,618	20,122	558	20,681	35,960	3,811	39,772
II.	आंतरिक ऋण का उन्नोचन (1 से 8)	—	2,04,587	2,04,587	—	2,68,291	2,68,291	—	2,68,193	2,68,193	—	3,21,033	3,21,033
	1. बाजार ऋण	—	91,642	91,642	—	1,09,299	1,09,299	—	1,09,299	1,09,299	—	1,05,694	1,05,694
	2. एलआरसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247
	4. नाबांड से ऋण	—	159	159	—	159	159	—	61	61	—	54	54
	5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि से ऋण	—	216	216	—	152	152	—	152	152	—	152	152
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	100	100	—	100	100	—	100	100
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	74,490	74,490	—	1,06,876	1,06,876	—	1,06,876	1,06,876	—	1,50,815	1,50,815
	8. अन्य	—	35,833	35,833	—	49,458	49,458	—	49,458	49,458	—	61,971	61,971
	जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	केंद्र को ऋणों की चक्रवृत्ति (1 से 7)	—	55,905	55,905	—	56,376	56,376	—	56,340	56,340	—	62,724	62,724
	1. राज्य योजना स्कीम	—	54,557	54,557	—	55,064	55,064	—	55,013	55,013	—	61,366	61,366
	जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	436	436	—	436	436	—	436	436	—	436	436
	3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	499	499	—	463	463	—	476	476	—	514	514
	4. योजनेतर (i से ii)	—	413	413	—	413	413	—	414	414	—	407	407
	i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ii) अन्य	—	413	413	—	413	413	—	414	414	—	407	407
	5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	28,407	6,968	35,375	36,218	9,734	45,952	33,067	8,113	41,180	51,552	9,614	61,167
	1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	28,407	3,225	31,632	36,218	4,401	40,619	33,067	3,485	36,551	51,552	4,720	56,272
	क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	2,304	3,225	5,529	5,542	4,401	9,943	2,392	3,485	5,876	5,447	4,720	10,167
	1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	3,225	3,225	—	4,401	4,401	—	3,485	3,485	—	4,720	4,720
	7. अन्य	—	2,304	2,304	5,542	—	5,542	2,392	—	2,392	5,447	—	5,447
	ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	26,103	—	26,103	30,676	—	30,676	30,675	—	30,675	46,105	—	46,105
	1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. मूदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	17	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. सहकारिता	318	—	318	1	—	1	—	—	—	1	—	1
	5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	6,975	—	6,975	6,975	—	6,975	11,000	—	11,000

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूँजीगत व्यय (जारी)

ગुजરात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7. ग्रामीण और लघु उद्योग	20	-	20	-	-	-	-	-	3	-	3	
	8. अन्य उद्योग और खनिज	11,000	-	11,000	2,350	-	2,350	-	2,350	5,501	-	5,501	
	9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10. अन्य	14,748	-	14,748	21,350	-	21,350	21,350	-	21,350	29,600	-	29,600
	2. गैर-विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	3,743	3,743	-	5,333	5,333	-	4,629	4,629	-	4,894	4,894
	क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	244	244	-	503	503	-	162	162	-	214	214
	ख) विविध	-	3,499	3,499	-	4,830	4,830	-	4,466	4,466	-	4,680	4,680
V.	अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
VI.	आकस्मिकता कोष	-	3,397	3,397	-	11,582	11,582	-	6,847	6,847	-	-	-
VII.	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	81,209	81,209	-	1,22,153	1,22,153	-	1,22,153	1,22,153	-	1,84,245	1,84,245
	1. राज्य भविष्य निधि	-	74,872	74,872	-	1,08,458	1,08,458	-	1,08,458	1,08,458	-	1,70,000	1,70,000
	2. अन्य	-	6,337	6,337	-	13,695	13,695	-	13,695	13,695	-	14,245	14,245
VIII.	आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	46,002	46,002	-	83,600	83,600	-	83,600	83,600	-	81,300	81,300
	1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	17	17	-	55	55	-	55	55	-	55	55
	2. ऋणरोधन निधियां	-	20,002	20,002	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
	3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. अन्य	-	25,983	25,983	-	33,545	33,545	-	33,545	33,545	-	31,245	31,245
IX.	जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	13,28,400	13,28,400	-	11,62,267	11,62,267	-	11,62,267	11,62,267	-	11,76,810	11,76,810
	1. सिविल जमा	-	2,67,265	2,67,265	-	3,15,410	3,15,410	-	3,15,410	3,15,410	-	3,15,410	3,15,410
	2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	10,09,886	10,09,886	-	7,50,000	7,50,000	-	7,50,000	7,50,000	-	7,50,000	7,50,000
	3. सिविल अग्रिम	-	25,382	25,382	-	20,400	20,400	-	20,400	20,400	-	25,400	25,400
	4. अन्य	-	25,867	25,867	-	76,457	76,457	-	76,457	76,457	-	86,000	86,000
X.	उचंत और विविध (1 से 4)	-	1,33,57,981	1,33,57,981	-	32,33,072	32,33,072	-	32,33,072	32,33,072	-	34,08,272	34,08,272
	1. उचंत	-	-3,816	-3,816	-	220	220	-	220	220	-	220	220
	2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	1,10,90,954	1,10,90,954	-	1,00,000	1,00,000	-	1,00,000	1,00,000	-	1,00,000	1,00,000
	3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	18,00,000	18,00,000	-	18,00,000	18,00,000	-	18,00,000	18,00,000
	4. अन्य	-	22,70,843	22,70,843	-	13,32,852	13,32,852	-	13,32,852	13,32,852	-	15,08,052	15,08,052
XI.	आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	विप्रेषण	-	10,26,559	10,26,559	-	7,24,364	7,24,364	-	7,24,364	7,24,364	-	7,24,364	7,24,364
	क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)				-6,575		-3,91,319			-4,35,650		-4,50,202	
	ख. पूँजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)				-55,462		3,96,095			4,49,419		3,94,458	
	ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)				-62,037		4,776			13,769		-55,744	
	घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)				-62,037		4,776			13,769		-55,744	
	i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)				14,293		4,776			13,669		-55,844	
	क) अथ शेष				-4,413		-2,62,799			9,880		23,549	
	ख) इति शेष				9,880		-2,58,023			23,549		-32,295	
	ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)				-76,330		-			100		100	
	iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)				-		-			100		100	

परिशिष्ट IV